फर्द अहकाम

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... **सहायक कलक्टर** .... मुकाम– .... **डीडवाना** ....

प्रार्थी :– सोहेल खान पुत्र कमरूदीन जाति शेरानी मुसलमान निवासी सुफिया मौहल्ला, शेरानी आबाद तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान ।

बनाम्

अप्रार्थीगण:– जाकिर खान पुत्र कमरूदीन जाति शेरानी मुसलमान निवासी सुफिया मौहल्ला, शेरानी आबाद तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना– कुचामन वगै.।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या **149/2025** सन्–**2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए।
09.07.2025	प्रार्थी सोहेल खान पुत्र कमरूदीन जाति शेरानी मुसलमान निवासी सुफिया मौहल्ला, शेरानी आबाद तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण जाकिर खान पुत्र कमरूदीन जाति शेरानी मुसलमान निवासी सुफिया मौहल्ला, शेरानी आबाद तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना– कुचामन वगै. के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर वकील प्रार्थीगण श्री अल्ताफ हुसैन के एकपक्षीय तर्क सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, एकपक्षिय सुना जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी पेशी तक सरहद शेरानी आबाद के खसरा संख्या 1233/862, 862 भूमि में विक्रय/हस्तान्तरण एवं निर्माण नहीं करेंगे तथा राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनायें रखेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उज एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। **नोट** :– 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251 पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनांक 12.08.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible] डीडवाना 12/8/25 पत्रावली पेश हुई। [illegible] कार्य स्थगित [illegible] पत्रावली दिनांक 24/11/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

7/10/2025

पत्रावली अपील वादी के विद्वान वकील
के आवेदन पर आज पेश हुई। अपील वादी ने
प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली को अदम पैरवी
खारिज करवाने का निवेदन किया। अपील
वादी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार
किया जाकर पत्रावली अदम पैरवी खारिज की
[illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Stair

Identified by
[illegible]

मो० इमरान खान

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested